Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में थानाधिकारी, पुलिस थाना बाटोदा एवं दलाल 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जून, मंगलवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुय रामकेश मीणा उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाईमाधोपुर को उसके दलाल कुंजीलाल मीणा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बजरी की ट्रेक्टर–ट्रॉली चलाने देने की एवज में रामकेश मीणा उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा **1500/–रुपये प्रति ट्रॉली** अथवा 20 **हजार रूपये** मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के निर्देशन में एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये दलाल कुंजीलाल मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा निवासी ठीगरिया, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर (प्राईवेट व्यक्ति) एवं रामकेश मीणा पुत्र श्री रामभजन मीणा निवासी नो–बिस्वा, टोड़ाभीम, जिला करौली हाल उपनिरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी, पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **20 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।